

F P U P / Pipeline / 122 प 39 / 2021

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने -

या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप-
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों को सुस्पष्ट
समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।)

CF अ. २१३। ब। १८ की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती हैं।

तिथि ८/७/२१

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

सरकारी मोहर